

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2]

भोपाल, रविवार, दिनांक 3 जनवरी 2021—पौष 13, शक 1942

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2021

क्र. एफ ए 5-1-2021-एक(1)-31.—माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक मुख्य न्यायाधीश, ओडिसा उच्च न्यायालय जिनका स्थानान्तरण भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) की अधिसूचना क्रमांक K-13025-03-2020-US.II, दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति पद पर किया गया है, ने अपने पद का कार्यभार दिनांक 3 जनवरी, 2021 (अपरान्ह 2.00 बजे) को ग्रहण किया

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद कुमार, अपर मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2021

क्र. एफ ए 5-1-2021-एक(1)-32.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-2021-एक-(1)-31 दिनांक 3 जनवरी 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद कुमार, अपर मुख्य सचिव.

Bhopal, the 3rd January 2021

No. F. 5-1-2021-One (1)-31.—Hon'ble Chief Justice of Orissa High Court Shri Justice Mohmmad Rafiq, who has been transferred as Chief Justice of the Madhya Pradesh High Court *vide* Government of India, Ministry of Law and Justice (Department of Justice) Notification No. K-13025-03-2020-US.II, dated 31st December 2020 has assumed the charge of his office on 3rd January 2021 (at 02.00 P. M.)

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VINOD KUMAR, Addl. Chief Secy.